न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2025
जीसीएमएस नं. 25/2025
प्रविष्टि दिनांक 25.02.2025

सरकार जरिए तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

रामसिंह पुत्र सज्जनसिंह मृतक जरिये वारिसान

1. भंवर सिंह पुत्र स्व. रामसिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रामसिंह मृतक जरिये वारिसान
2/1 हेमेन्द्र सिंह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह
2/2 मोनाकंवर पुत्री स्व. महेन्द्र सिंह
2/3 गोपाल कंवर पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रामसिंह
4. भंवर कंवर पत्नी स्व. रामसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी थडोली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

—अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित—

1. पेरोकार सरकार श्री मजहर आलम एड.।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

अभिशंषा दिनांक 27/3/26

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2007 के द्वारा अप्रार्थी रामसिंह को ग्राम थडोली के खसरा नं. 665 रकबा 1.30 हैक्टेयर सिवायचक काबिल काश्त भूमि में से रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया तथा ग्राम थडोली के आराजी खसरा नं. 286 रकबा 0.13 हैक्टेयर 637 रकबा 0.09 हैक्टेयर 638 रकबा 0.19 हैक्ट. 640 रकबा 0.58 हैक्ट. 644 रकबा 0.13 हैक्ट. 650 रकबा 0.14 हैक्ट. किता 6 रकबा 1.26 हैक्ट. भूमि को सिवायचक दर्ज अभिलेख करने का आदेश दिया है। तहसीलदार टोडारायसिंह ने उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के उक्त आदेश व डिक्री को निरस्त किये जाने हेतु धारा 232 राज० टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत रेफरेन्स में दिनांक 27.10.2009 को अभिशंषा पारित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2020 के द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा को पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व सभी संबंधित राजस्व रिकॉर्ड का पुनःपरीक्षण कर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

आवश्यक समझा जावे तो रेफरेन्स नवीनतः प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ रेफरेन्स न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया है।

रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस अप्रार्थीगण की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने न्यायालय में बहस की जबकि अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव कथन किया कि ग्राम थडोली के खसरा नं. 637 रकबा 0.09 हैक्ट., 638 रकबा 0.19 हैक्ट. व 640 रकबा 0.46 हैक्ट. भूमि कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी रामसिंह की खातेदारी में जमाबंदी संवत् 2056–59 ग्राम थडोली के खाता सं. 199 में दर्ज रिकॉर्ड थी। इस भूमि जो कि 0.74 हैक्टेयर होती है, बीसलपुर परियोजन के अवार्ड दिनांक 18.03.2002 के द्वारा बीसलपुर परियोजना हेतु अवाप्ति की जा चुकी है। रामसिंह की खातेदारी में खसरा नं. 614 रकबा 0.07 खसरा नं. 637 रकबा 0.09 हैक्ट. 638 रकबा 0.19 हैक्ट. 639 रकबा 0.21 हैक्टेयर 640 मि. 0.46 हैक्टेयर कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि को उक्त अवार्ड द्वारा बीसलपुर परियोजना हेतु अवार्ड कर लिया गया था।

उक्त भूमि अवाप्ति के बदले अप्रार्थी खातेदार रामसिंह द्वारा 144731 रूपये का मुआवजा दिनांक 25.04.2002 को प्राप्त कर लिया गया था एवं भूमि अवाप्ति के बदले अप्रार्थी को बीसलपुर परियोजना के अवार्ड क्रमांक 2352 दिनांक 08.07.2002 के द्वारा खसरा नं. 512 में से 0.10 हैक्टेयर (खसरा नं. 512/1 रकबा 0.10 हैक्टेयर) एवं खसरा नं. 513 रकबा 0.92 हैक्टेयर कुल भूमि किता 2 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है, जो कि जरिये नामान्तरकरण सं. 206 दिनांक 11.10.2002 के द्वारा जमाबंदी संख्या 2056 से 2059 की खाता सं. 269 में दर्ज रिकॉर्ड है। इस भूमि की खातेदारी प्रतिवादी को जरिये नामा. सं. 271 दिनांक 12.01.2006 के द्वारा दे दी गई है जिसका अमल जमाबंदी सं. 2060 से 2063 की खाता सं. 258 पर हो गया है।

अप्रार्थी ने दिनांक 07.08.2002 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के यहां एक वाद प्रस्तुत कर ग्राम थडोली के खसरा नं. 665 रकबा 1.30 हैक्टेयर सिवायचक काबिल काश्त भूमि में से रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि को स्वयं की खातेदारी की भूमि घोषित करवा ली एवं इसके बदले में खसरा नं. 286 रकबा 0.13 हैक्टेयर 637 रकबा 0.09 हैक्टेयर 638 रकबा 0.19 हैक्ट. 640 रकबा 0.58 हैक्ट. 644 रकबा 0.13 हैक्ट. 650 रकबा 0.14 हैक्ट. किता 6 रकबा 1.26 हैक्ट. भूमि को सिवायचक घोषित करवा लिया जबकि उक्त खसरा नम्बरान में से 637 रकबा 0.09 हैक्ट. 638 रकबा 0.19 हैक्ट. 640 रकबा 0.40 हैक्ट. कुल 0.74 हैक्टेयर भूमि पूर्व में अवार्ड होकर बीसलपुर परियोजना में जा चुकी हैं एवं अप्रार्थी द्वारा भूमि का नकद मुआवजा भी प्राप्त किया जा चुका था। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी द्वारा धोखाधडी कर अपने खाते की भूमि जो बीसलपुर परियोजना में अवाप्त हो चुकी थी, जिसका मुआवजा भी प्राप्त किया जा चुका था, के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करते हुए उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय से दिनांक 30.04.2007 को डिक्री पारित करवा ली। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 30.04.2007 को राजहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन हैं कि सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्णय दिनांक 30.04.2007 को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अभिशंषा के साथ भिजवाने की कृपा करें। प्रार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की प्रति, जमाबंदी, अवार्ड की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 30.04.2007 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहां अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें तहसीलदार टोडारायसिंह भी पक्षकार है। नियमित अपील सं. 70/2007 उक्त न्यायालय में मेरिट पर कन्टेस्ट किया जा रहा है। एक ही मामले में सक्षम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में मामला विचाराधीन होते हुए न्यायालय हाजा में तहसीलदार टोडारायसिंह ने गलत रूप से रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। ऐसे रेफरेन्स में सक्षम न्यायालय की डिक्री को निरस्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। एक ही विषय पर विभिन्न न्यायालयों के निर्णय होने से मामले में पेचीदगियां उत्पन्न हो जावेंगी। इसलिए प्रस्तुत रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स प्रकरण खारिज फरमाया जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि ग्राम थडोली जमाबन्दी सम्वत 2056–2059 के खाता सं० 199 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.09 है० खसरा नम्बर 638 रकबा 0.19 है० व खसरा नम्बर 640 रकबा 0.46 है० कुल रकबा 0.74 है० भूमि विपक्षी रामसिंह पुत्र सज्जनसिंह राजपूत निवासी थडोली की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस भूमि को बिसलपुर परियोजना के अवार्ड दिनांक 18–03–2002 के द्वारा बिसलपुर परियोजना हेतू अवाप्त की जा चुकी थी। इसी प्रकार विपक्षी की खातेदारी के खं०नं० 614 रकबा 0.07, ख0नं0 637 रकबा 0.09 है०, ख०नं० 638 रकबा 0.19 है०, ख०नं० 639 रकबा 0.21 है० ख0नं0 640 मि० रकबा 0.46 कुल रकबा 1.02 है० भूमि का उक्त अवार्ड द्वारा बिसलपुर परियोजना हेतू अवाप्त कर लिया गया था। उक्त भूमि अवाप्ति के बदले विपक्षी रामसिंह द्वारा 1,44,731 रूपये का मुआवजा दिनांक 25–4–2002 को प्राप्त कर लिया एवं भूमि अवाप्ति के बदले विपक्षी को बिसलपुर परियोजना के अवार्ड कमांक 2352 दिनांक 8–7–2002 के द्वारा ख0नं0 512 में से 0.10 है० एंव ख0नं0 513 रकबा 0.92 है० कुल भूमि किता 2 रकबा 1.02 है० भूमि आवंटित की जा चुकी थी। तत्पश्चात विपक्षी रामसिंह ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को छुपा कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के यहां एक वाद प्रस्तुत कर ग्राम थडौली के ख0नं0 665 रकबा 1.30 है० सिवाय चक भूमि में से एक रकबा 1. 26 है० स्वयं की खातेदारी की भूमि घोषित करवा ली और इसके बदले में विपक्षी ने खसरा नम्बर 286 रकबा 0. 13 है० खसरा नं0 637 रकबा 0.09 है० ख०नं० 638 रकबा 0.19 है, ख०नं० 640 रकबा 0.58 है० ख०नं० 644 रकबा 0.13 है० ख०नं० 650 रकबा 0. 14 है0 किता 6 रकबा 1.26 है० भूमि को सिवाय चक घोषित करवा लिया जबकि उक्त 0नं0 में से 637 638 640 की भूमि रकबा 0.74 है० भूमि पूर्व में अवार्ड घोषित होकर विसलपुर परियोजना में जा चुकी थी एवं विपक्षी रामसिंह के द्वारा भूमि का नकद मुआवजा भी प्राप्त किया जा चुका था।

विपक्षी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में अपील सं. 70/2007 लम्बित होने का कथन किया गया, साथ ही कथन किया गया कि एक ही मामले में सक्षम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में मामला विचाराधीन होते हुए न्यायालय हाजा में तहसीलदार टोडारायसिंह ने गलत रूप से रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

उक्त वाद की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक से तलब की गई। रिपोर्ट में अंकित हैं कि प्रकरण संख्या 70/2007 उनवान कालू बनाम रामसिंह का निस्तारण दिनांक 03.11.2020 को ही हो चुका है तथा निर्णय की सत्यापित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि उक्त अपील अपीलांट द्वारा आगे कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन करने पर नोटप्रेस में खारिज की गई है।

इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि अभिभाषक विपक्षी का न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में वाद जेरकार होने का कथन गलत है। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रस्तुत रेफरेन्स में सुनवाई हेतु स्वतंत्र है। स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी द्वारा धोखाधडी कर अपने खाते की भूमि जो बीसलपुर परियोजना में अवाप्त हो चुकी थी, जिसका मुआवजा भी प्राप्त किया जा चुका था, के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को गुमराह करते हुए दिनांक 30.04.2007 को डिक्री पारित करवा ली।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रकरण रेफेन्स योग्य है। अतः रेफेन्स प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अभिशंषा के साथ प्रेषित है कि उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2007 एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 27/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर
टोंक